

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र०।  
परिपत्रांक 59/कृषि निवेश/बी-250 (टी सी-1)दिनांक:लखनऊ: 08 जनवरी 2018

- 1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,  
सहकारिता, उ०प्र०।
- 2-समस्त सचिव/महाप्रबंधक,  
जिला सहकारी बैंक लि०।
- 3-समस्त जिला प्रबंधक  
पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

विषय- दिनांक 01.01.2018 से इफको फास्फेटिक उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरो मे परिवर्तन के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक परिपत्रांक सी-37/कृषि निवेश/बी-250(टी सी-1) दिनांक 15.09.2017 एवं परिपत्रांक सी-48 दिनांक 02.11.2017 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करे जो इफको की फास्फेटिक उर्वरको डीएपी,एनपीके 12:32:16 व एनपीके 10:26:26 हेतु जारी आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरे दिनांक 14.09.2017 से 31.12.2017 लागू थी। राज्य विपणन प्रबंधक इफको लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 4001-4100 दिनांक 02.01.2018 द्वारा डीएपी उर्वरक पर विशेष छूट समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2018 से इफको फास्फेटिक उर्वरको की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दर निम्नानुसार संसूचित किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त कम मे इफको की फास्फेटिक उर्वरको की नवीन दरे निम्नवत संसूचित की जाती है :-

(धनराशि रू०में)

क्र० सं०	विवरण(प्रति मैटन)	डीएपी	एनपीके 12:32:16	एनपीके 10:26:26
1	एक्स फैक्ट्री प्राइस	20015.24	19729.52	19615.24
2	विशेष छूट	0.00	685.71	666.67
3	कर योग्य धनराशि	20015.24	19043.81	18948.57
4	सी.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	500.38	476.10	473.71
5	एस.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	500.38	476.10	473.71
6	कुल जी.एस.टी. धनराशि	1000.76	952.19	947.43
7	नेट इश्यू प्राइस	21016.00	19996.00	19896.00
8	डीलर मार्जिन	480.00	480.00	480.00
9	डीलर मार्जिन पर सी.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	12.00	12.00	12.00
10	डीलर मार्जिन पर एस.जी.एस.टी.2.5प्रतिशत(+)	12.00	12.00	12.00
11	डीलर मार्जिन पर कुल जी.एस.टी.धनराशि	24.00	24.00	24.00
12	कृषको हेतु फुटकर बिक्री दर	21520.00	20500.00	20400.00
13	कृषको हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति 50 कि.ग्रा. बैग	1076.00	1025.00	1020.00

1. उपरोक्त दसों पर दिनांक 01.01.2018 से समितियों/बिक्री केन्द्रों को इफको डीएपी व एनपीके उर्वरकों की आपूर्ति की जायेगी।
2. समितियों/बिक्री केन्द्रों पर दिनांक 31.12.2017 से पूर्व की इफको आपूर्ति डीएपी व एनपीके उर्वरकों की बिक्री नवीन दसों से ही की जायेगी।
3. इफको डीएपी व एनपीके उर्वरकों की आपूर्ति प्रदायकर्ता द्वारा एफ0ओ0आर0 के आधार पर की जायेगी।
4. समितियों द्वारा स्वयं परिवहन किये जाने पर रू0 250.00 प्रति मै.टन परिवहन छूट पूर्व की भांति ही दिया जायेगा।

आयुक्त एवं निबन्धक  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।

परिपत्रांक : <sup>सी-59</sup> / कृषि निवेश/बी-250(टी सी) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
9. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(रामप्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।